

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

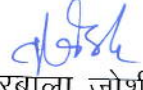
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/17/106-10

दिनांक:- 04 अक्टूबर, 2013

कार्यालय आदेश

श्री लोकेन्द्र सिंह, लेखाकार (लिंक नं. 186/11) बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरोंही को जिला एवं सेशन न्यायालय सिरोंही में लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।


(वीरबाला जोशी)

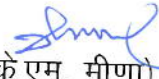
निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/17/106-10

दिनांक:- 04 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला सिरोंही
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी जिला सिरोंही
3. श्री लोकेन्द्र सिंह, लेखाकार (लिंक नं. 186/11) बाल विकास परियोजना अधिकारी सिरोंही
4. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय सिरोंही
5. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(कै.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)
कोष एवं लेखा विभाग